संख्या- 7/2026/ 49-3099/47/2021-I/1231924/2026

प्रेषक:

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 9 फरवरी, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 50/लेखा-अ/2025-26/आय-व्ययक, दिनांक 06.05.2025 एवं पत्रांक-I/300529/2025/ अधि0-1/बजट/लखनऊ, दिनांक 06.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025- 26 में अनुदान संख्या- 18 के अधीन पूंजीगत मद में मुख्य लेखाशीर्ष - ''4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 107- क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश, 04- अधिकोषण योजना के अन्तर्गत गैर लाइसेन्स प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु अंशपूंजी, 30- निवेश/ऋण'' में प्राविधानित धनराशि रूपये 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रूपये 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025- 26 में अनुदान संख्या- 18 के अधीन पूंजीगत मद में मुख्य लेखाशीर्ष - ''4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 107- क्रेडिट सहकारी समितियों में निवेश, 04- अधिकोषण योजना के अन्तर्गत गैर लाइसेन्स प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु अंशपूंजी , 30-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निवेश/ऋण'' में प्राविधानित धनराशि रूपये 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रूपये 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की अधोलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

<u>नियम/ शर्तें /प्रतिबन्ध :-</u>

(1) आंकड़ों की शुद्धता एवं धानराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष राजकोष से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा , जितनी धनराशि योजना अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित हो। स्वीकृत धनराशि सीधे भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति इस प्रकार निर्गत की जायेगी कि अधिक से अधिक जिला सहकारी बैंकों को एक ही बार में संतृप्त किया जा सके।

(4) प्राविधानित धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस प्रकार किया जायेगा कि धनराशि का व्यावर्तन अन्य योजना/कार्यक्रम में न हो।

(5) प्राविधानित धनराशि का व्यय किये जाने में इसकी द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो।

(6) लाइसेंस प्राप्त जिला सहकारी बैंकों के क्रियाकलापों एवं प्रगति की अनवरत रूप से समीक्षा/निगरानी इस प्रकार की जाये कि सम्बन्धित बैंक लाभ में हों तथा उन्हें पुनः किसी प्रकार के अनुदान की आवश्यकता न पडे, इसका दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग भारत सरकार, राज्य सरकार व नाबार्ड के मध्य हस्ताक्षरित एम 0 ओ 0 यू 0 दिनांक 16-2-2015 के अनुसार किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार के अवशेष अंश को शीघ्रातिशीघ्र अवमुक्त कराये जाने हेतु प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाये।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में यथावश्यक पैरा- 94 की कार्यवाही आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 1000.00 लाख (रूपये दस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 018 लेखा शीर्षक पूंजीगत मद में मुख्य लेखाशीर्ष - ''4425- सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 107- क्रेडिट सहकारी समितियों में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निवेश, 04- अधिकोषण योजना के अन्तर्गत गैर लाइसेन्स प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु अंशपूंजी, 30- निवेश/ऋण'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-2-150-X-2025-26, दिनांक : 6-2-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- (1) /49-3-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4) वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0, लखनऊ।
5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।
6) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।